न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 76/2021 बउनवानी रामकिशोर सैनी बनाम लो.सू.अधि.एवं मुख्य कार्यकारी अधि.जि0प0,स0मा0
पुत्र स्व0 श्री बिरधीचन्द सैनी निवासी प्लाट नं. ए–1 रजनीश नगर हरनाथपुरा झोटवाडा जयपुर

GCMS No-2021/241

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
12.10.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का प्रतिनिधि उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 29.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

:–दिनांक 14.5.2021 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को एक पत्र लिखा गया था जिनका सदर्भ " सरपंच, ग्राम पंचायत शिवाड, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम,2005 कानून के अन्तर्गत भेजी गयी प्रथम अपील को लेने से इन्कार करने के संबंध में एवं विषय सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड जिला सवाईमाधोपुर मे पदस्थापित कर्मचारी जिसने डाक लेंने से इन्कार किया है के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए कानूनी कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना दिलाने बाबत।

1. यह है कि प्रार्थी द्वारा लिखे गये उक्त पत्र की प्रति एवं संलग्न किये गये दस्तावेज।
2. उक्त पत्र को डाक आवक जावक रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर इन्द्राज किया गया है उक्त पृष्ठ की प्रति।
3. उक्त लिखे गये पत्र पर चलाई गयी समस्त नोट शीटे।
4. संबंधित समस्त पत्रावलीयों के आगे व पीछे के फाईल कवर।
5. उक्त लिखे गये पत्र पर की गयी समस्त कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेज।
6. उक्त पत्र के संबंध में आपके विभाग द्वारा किया गया समस्त प्रकार का आपसी पत्राचार।
7. उक्त पत्र के संबंध में संघारित समस्त पत्रावली।
8. उक्त पत्र पर विभाग में कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/लोकसेवक का नाम पिता का नाम,दूरभाष नम्बर निवास स्थान का पता एवं वर्तमान पदस्थापन से संबंधित सूचना उपलब्ध करावे।
9. उक्त पत्र पर विभाग द्वारा आज दिवस तक कार्यवाही जिस नियम के तहत नही की गयी है उस नियम की प्रति उपलब्ध करावे।
10. उक्त पत्र पर विभाग मे कार्यवाही नही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी/लोकसेवक का नाम, पिता का नाम, दूरभाष नम्बर,निवासी स्थान का पता एवं वर्तमान पदस्थापन से संबंधित सूचना उपलब्ध करावे।
11. उक्त पत्र पर विभाग मे कार्यवाही नही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी/लोक सेवक के खिलाफ सेवा नियमों के तहत जो कार्यवाही बनती है/कार्यवाही की जाती है उससे संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सव[illegible] अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा [illegible] हत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर [illegible] अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर [illegible] सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी [illegible] तलबी जरिये नोटिस की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.29 19:16:06 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित प्रतिनिधि ने लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/जिप/पंचा/सू.का.अ./21/1514 दिनांक 5.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.6.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 में चाही गयी सूचना ग्राम पंचायत शिवाड के पत्रांक 199–200

दिनांक 21.6.2021 से तथा उक्त सूचना ही विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा के पत्रांक 126 दिनांक 2.7.2021से अपीलान्ट को भिजवाई जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत प्रतिनिधि जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा निवेदन किया गया।

जिला परिषद के प्रतिनिध द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.6.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना ग्राम पंचायत शिवाड के पत्रांक 199–200 दिनांक 21.6.2021 तथा उक्त सूचना ही विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा के पत्रांक 126 दिनांक 2.7.2021 से भिजवाई जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 1 पर प्रार्थना पत्र दिनांक 2.1.2021 की प्रति तथा नोटशीट दिनांक 8.1.2021 से 8.3.2021 तक की प्रति भिजवायी गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को उसके द्वारा चाही गयी सूचना से भिन्न सूचना उपलब्ध करवायी गयी है क्योकि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 14.5.2021 की प्रति एवं उस पर की गयी कार्यवाही की नोटशीट एवं अन्य सूचनाऐ चाही जा रही है। अतः लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 29.6.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमे दिनांक 14.5.2021 के प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही के संबंध मे सूचना चाही गयी है जिसको 15 दिवस मे अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.29 19:16:06 IST
Reason: SelfAttested